**राजस्थान सरकार**

**कृषि निदेशालय, राज0, जयपुर**

कमांकः एफ4(ाा)/आ.कृ./उर्वरक/13/2016–17/11336-11536 दिनांकः 21|X|16

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ..........................
2. संयुक्त निदेशक कृषि, (विस्तार) खण्ड ..........................
3. परियोजना निदेशक, सीएडी कोटा।
4. उपनिदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद ..........................
5. उपनिदेशक कृषि (विस्तार), आईजीएनपी बीकानेर।
6. जिला विस्तार अधिकारी, सीएडी कोटा/सुल्तानपुर/बूंदी।
7. सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) ..........................

विषयःवर्ष 2016–17 में राज्य योजनान्तर्गत सूक्ष्म पोषक तत्व किट वितरण कार्यकम के कियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा वर्ष 2016–17 के तहत राज्य में ''मृदा स्वास्थ्य कार्ड'' योजना पर आधारित, सूक्ष्म पोषक तत्वों की किट 90 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराई जायेंगी।

अतः सलंग्न दिशा निर्देशों तथा भौतिक व वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार वर्ष 2016–17 के कार्यकम का शत–प्रतिशत कियान्वयन सुनिश्चित करते हुये प्रतिमाह प्रगति प्रतिवेदन से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(अम्बरीष कुमार)
निदेशक कृषि

कमांकः एफ4(ाा)/आ.कृ./उर्वरक/13/2016–17/11336-11536 दिनांकः 21|X|16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. विशिष्ठ सहायक कृषि मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, कृषि, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. आयुक्त, जल ग्रहण एवं भू–संरक्षण, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त ..........................
5. निदेशक, उद्यान, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ..........................
7. समस्त जिला कलेक्टर ..........................
8. अतिरिक्त निदेशक कृषि, आदान/विस्तार/अनुसंधान।
9. संयुक्त निदेशक कृषि (गु0नि0/योजना/रसायन/आरकेवीवाई) मु0, जयपुर।
10. महाप्रबन्धक (कृषि आदान) राजफैड, जयपुर ..........................
11. एसीपी, मु0 जयपुर को भेजकर लेख है कि दिशा–निर्देशों की प्रति कृषि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

21.X.16
(डॉ.आर.जी.शर्मा)
संयुक्त निदेशक कृषि (आदान)

883

D:\JAIN SHAB\2016 Hindi Letter.doc

# वर्ष 2016–17 में राज्य योजनान्तर्गत सूक्ष्म पोषक तत्व किट वितरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

## प्रस्तावना

राज्य के अधिकांश जिलों की मृदा में प्रमुख रूप से जिंक व लोहा तथा बोरोन, मैग्नीज एवं मैग्नीशियम जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पाई जा रही है। इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण फसलों की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पडने के साथ–साथ इन खाद्यानों द्वारा मनुष्यों में आपूर्तित किये जाने वाले पोषक तत्वों में भी कमी आ रही है। मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों की पर्याप्त उपलब्धता व संतुलित उर्वरक उपयोग कृषि उत्पादन में गुणोत्तर वृद्धि के कारक है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कृषि उत्पादन में महती उपयोगिता को देखते हुये माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2016–17 में कृषकों को 90 प्रतिशत अनुदान पर सूक्ष्म पोषक तत्व किट वितरण किये जाने की बजट घोषणा की गई है।

**राज्य में "मृदा स्वास्थ्य कार्ड" योजना के तहत प्रत्येक खेत के लिये मृदा परीक्षण उपरान्त कार्ड जारी किया जायेगा, जिसमें फसलवार पोषक तत्वो की सिफारिश अंकित की जाती है। इस सिफारिश के आधार पर कृषकों को सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता के अनुसार सूक्ष्म पोषक तत्वों की किट उपलब्ध कराई जायेंगी ताकि फसलों की उत्पादकता बढाई जा सकें।**

## 1. कृषक का चयन

सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदर्शन में सभी श्रेणी के कृषकों को लाभान्वित किया जा सकता है। जिले में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कृषकों की जनसंख्या के आधार पर तथा महिला कृषकों को प्राथमिकता से लाभान्वित करते हुए वितरण सुनिश्चित किया जावें।

## 2. प्रक्रिया

(2.1) इच्छुक कृषक स्थानीय कृषि विभाग को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे जिसमें कृषक एवं खातेदार का नाम व पता, फसल का नाम व क्षेत्रफल जिसमें वांछित सूक्ष्म पोषक तत्व उर्वरक/उर्वरकों का उपयोग किया जायेगा। कृषक द्वारा आवेदन पत्र के साथ **मृदा स्वास्थ्य कार्ड** की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न की जावें।

(2.2) कृषि विभाग के स्थानीय कर्मी/अधिकारी के द्वारा, प्राप्त हुये आवेदनों का अंकन सूक्ष्म पोषक तत्व सहायता/प्रदर्शनों का पंजीकरण रजिस्टर (प्रपत्र–अ) में संधारण करना होगा।

(2.3) कृषि विभाग के स्थानीय कर्मी/अधिकारी के द्वारा कृषक के मूल आवेदन पत्र पर उपरोक्त प्रपत्र (रजिस्टर) की क्रम संख्या एवं सूक्ष्म पोषक तत्व उर्वरक/उर्वरकों के नाम व मात्रा/मात्राऐं अंकित की जाकर सहकारी समिति के नाम अभिशंषित किया जावेगा।

566

(2.4) इच्छुक कृषक मूल प्रार्थना पत्र, जिस पर कृषि विभाग के स्थानीय कर्मी/अधिकारी की सिफारिश अंकित है, के आधार पर, 'सहकारी समिति को प्रस्तुत करेगें।

(2.5)संबंधित उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद/उप, सहायक रजिस्ट्रार,सहकारी समितियां व व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति/ क्रय विक्रय सहकारी समिति एक बैठक आयोजित कर समितिवार सूक्ष्म पोषक तत्वों की मांग का विवरण तैयार करेंगे। यह मांग विवरण समिति संबंधित आपूर्तिकर्ता फर्म को उपलब्ध करायेंगी। जिसके अनुसार आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति ग्राम सेवा सहकारी समिति/क्रय विक्रय सहकारी समिति पर की जावेगी।

(2.6) कृषि आदान यथा–सूक्ष्म पोषक तत्व की दरों का अनुमोदन विभाग द्वारा किया जा चुका है। आदानों की उपलब्धता एवं दरों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये जा चुके है।

(2.7) ग्राम सेवा सहकारी समिति/क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा कृषि विभाग से प्राप्त सिफारिश अनुसार सूक्ष्म पोषक तत्व किट उपलब्ध कराते हुये कृषकों से कुल लागत पर 90 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध करांते हुये शेष 10 प्रतिशत कृषक हिस्सा राशि वसूल करेंगे। 90 प्रतिशत अनुदान का भुगतान कृषि विभाग द्वारा सहकारी संस्था को किया जायेंगा।

(2.8) सहकारी समिति के द्वारा बिल तीन प्रतियों में काटे जायेंगे, जिन पर कृषक के हस्ताक्षर अंगूठा निशानी लेने आवश्यक होंगे। बिल की दूसरी प्रति संबंधित कृषक को दी जावेगी तथा प्रथम मूल प्रति जिस पर कृषक के हस्ताक्षर होंगे, अनुदान क्लेम के प्रपत्र के साथ संलग्न की जावेगी। प्रत्येक बिल में सूक्ष्म पोषक तत्व उर्वरक का बैच नम्बर इत्यादि अंकित करना आवश्यक होगा।

(2.9) संबंधित उप निदेशक कृषि जिला परिषद (विस्तार) /सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) के द्वारा निर्मातावार सूक्ष्म पोषक तत्व उर्वरक का उपयोग का विवरण कृषि आयुक्तालय को प्रस्तुत करना होगा।

## 3. गुण नियंत्रण

(3.1) इस कार्यक्रम में अनुदान का भुगतान नमूनों के मानक पाये जाने पर ही किया जावेंगा। संबंधित जिले में निर्माता द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त सूक्ष्म पोषक तत्व उर्वरकों के प्रत्येक बैच के नमूनें जिले के सहायक निदेशक/उप निदेशक कृषि/जिला विस्तार अधिकारी, सीएडी द्वारा आवश्यक रूप से आहरित किये जावें।

(3.2) राज्य में स्थापित समस्त राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशालाओं में समान रूप से उर्वरकों के नमूनें विश्लेषण हेतु भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावें ताकि समय पर नमूनों के परिणाम प्राप्त हो सकें।

## 4. सामान्य निर्देश

(4.1) संबंधित कृषि पर्यवेक्षक के द्वारा सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिये उपलब्ध करायी गयी सहायता का खेतों में निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन अपनी कार्य क्षमतानुसार करना होगा। सभी क्षेत्रीय अधिकारी सहायक/कृषि अधिकारी व सहायक/उप/संयुक्त निदेशक कृषि का पर्यवेक्षण कार्य में संयुक्त एवं व्यक्तिगत दायित्व होगा। वे आवश्यकतानुसार अपना कार्यक्रम सुनिश्चित करें ताकि सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिये उपलब्ध कराई गई सहायता का सर्वेक्षण व भौतिक सत्यापन कार्य उनकी कार्य क्षमतानुसार किया जा सकें।

(4.2)सूक्ष्म पोषक तत्व सहायता वितरण में जिले के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कृषकों की जनसंख्या के आधार पर भागीदारी सुनिश्चित की जावें। सीमान्त, लघु व मध्यम कृषकों को प्राथमिकता से लाभान्वित किया जावें। महिला कृषकों की 30 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की जावें। जनजाति उप योजना मद में आवंटित प्रदर्शनों से दोनों अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र से बाहर रहने वाले अनुसूचित जनजाति कृषकों को भी लाभान्वित किया जावेंगा।

(4.3)संबंधित सहायक निदेशक/उप निदेशक कृषि/जिला विस्तार अधिकारी, सीएडी द्वारा 90 प्रतिशत अनुदान पर वितरित सूक्ष्म पोषक तत्व किट के भुगतान हेतु मानक नमूनों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये संबंधित आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

## 5. पेनल्टी संबंधी उपबन्ध

विश्लेषण पश्चात अमानक पाये जाने पर संबंधित जिले में अमानक बैच के सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदर्शनों के अनुदान का भुगतान नही किया जावेंगा एवं एफसीओ, 1985 के तहत संबंधित के विरूद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लाई जावेंगी।

## 6. अनुदान/सहायता

सूक्ष्म पोषक तत्व किट अधिकतम राशि रू. 1000 प्रति किट प्रति हैक्टेयर। अतिरिक्त राशि कृषक द्वारा वहन की जायेंगी। एक प्रदर्शन हेतु न्यूनतम 0.4 हैक्टेयर तथा अधिकतम क्षेत्र 01 हैक्टेयर रहेंगा।

21.4.16

(डॉ.आर.जी.शर्मा)
संयुक्त निदेशक कृषि (आदान)

568

D:\JAIN SHAB\2016 Hindi Letter.doc

परिशिष्ठ–1

प्रपत्र–अ

## सूक्ष्म पोषक तत्व सहायता/प्रदर्शनों पंजीकरण रजिस्टर

| क. सं. | कृषक का नाम | वर्ग – अजजा /अजा | खातेदार का नाम | गांव | फसल | क्षेत्रफल | सूक्ष्म पोषक तत्व उर्वरक का नाम व मात्रा | | हस्ताक्षर कृषक | अन्य विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

प्रपत्र–ब

## योजनावार फसलवार सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदर्शनों के समेकित परिणाम रबी वर्ष 2016–17

नाम जिला ........................

| क. सं0 | फसले | आयोजित प्रदर्शन क्षेत्र(हैक्0) | लाभान्वित कृषक सं0 | उपज (किग्रा/है) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | प्रदर्शन प्लाट | | | कंट्रोल प्लाट | | |
| | | | | अधिकतम | न्यूनतम | औसत | अधिकतम | न्यूनतम | औसत |
| 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |